अतारांकित 3203 132

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग,
मंत्रालय भोपाल
//आदेश//

क्रमांक/ 1353/1278 /2015/20–1 भोपाल, दिनांक 05/8/2015

:: डब्ल्यू.पी.क्रमांक 7047/2015 संयुक्त अतिथि शिक्षक संघ म.प्र. द्वारा, मनोज मिश्रा पुत्र श्रीराम मिश्रा, अध्यक्ष धमरा चौहान मोहल्ला गुनगा भोपाल विरूद्ध मध्यप्रदेशं प्रदेश शासन एवं अन्य में, माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.05.2015 का ऑपरेटिव पैरा निम्नलिखित अनुसार है :–

" In view of submissions made by the learned counsel for the **petitioner** and as agreed to by them, the writ petition is disposed of with a direction that in case the petitioner submits a representation to respondant No.1 namely the principle secretary, school education department, Bhopal, within a period of two weeks from the date of receipt of certified copy of the order passed today, the aforesaid authority shall look into the said representation and shall take a decision expeditiously] preferably within a period of three month from the date of receipt of such a representation of the petitioner and shall pass a speaking order. It is made clear that this Court has not expressed any opinion on the merits of the case."

2/ उक्त निर्णय में माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिए गये है कि याचिकाकर्ता द्वारा अपनी मांगों के संबंध में यदि अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाता है तो अभ्यावेदन प्राप्ति के तीन माह के भीतर प्रतिवादी क्र–1 नामे प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा अभ्यावेदन का निराकरण स्पीकिंग आर्डर जारी कर करेंगें। माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह भी उल्लेख किया गया है कि विषयांकित प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा मैरिट के आधार पर अपना कोई मत नही दिया गया हैं।

3/ संयुक्त अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष मनोज मिश्रा के द्वारा दिनॉक 20.5.2015 को माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा याचिका क्र. डब्ल्यू.पी.क्रमांक 7047/2015 में पारित निर्णय दिनॉक 14.05.2015 की छायाप्रति संलग्न करते हुऐ आयुक्त लोक शिक्षण को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा अपने अभ्यावेदन में केवल यह मांग की गई है कि **"अतिथि शिक्षको को गुरुजी के समान संविदा शाला शिक्षक के पद पर नियमतिकरण करने के आदेश जारी करवाने का कष्ट करें।"**

4/ याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन, माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि 14.05.2015, तथा संविदा शाला शिक्षको के नियोजन के लिये जारी किये गये नियम "म.प्र. पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तें) नियम, 2005" में अद्यतन किये गये संशोधन के प्रकाश में प्रकरण की स्थिति निम्नानुसार हैं–

(4.1) निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 दिनांक 01.04.2010 से प्रभावशील हो गया हैं, अधिनियम 2009 की धारा 23 में प्रावधान है कि नियुक्त किये जाने वाले शिक्षकों की न्यूनतम शैक्षणिक अहर्ताओं का निर्धारण भारत सरकार द्वारा नामित अकादमिक प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को न्यूक्त किये जाने वाले शिक्षकों की न्यूनतम शैक्षणिक अहर्ता निर्धारित के लिये प्राधिकरण घोषित किया गया है।

(4.2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्ष परिषद द्वारा निर्धारित योग्यता के अनुरूप म.प्र. पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तें) नियम, 2005 में संशोधन किया जाकर शैक्षणिक अहर्ताओं का निर्धारण किया गया हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा में निर्धारित प्रतिशत अंकों के साथ पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने की शर्त को शिक्षकों की नियुक्ति के लिये अनिवार्य किया गया है। प्रदेश में निर्धारित योग्यता धारित करने वाले आवेदक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद संबंधित निकाय का ऑनलाईन आवेदन करना होता हैं एवं उसके द्वारा प्रस्तुत विकल्प एवं मेरिट के आधार पर उसका चयन ऑनलाईन किया जाता हैं।

(4.3) संविदा शाला शिक्षकों के नियोजन की प्रकिया शासन द्वारा आदेश क0 एफ 1–54/2014/20–1, दिनांक 17.03.2015 के द्वारा निर्धारित की गई है। इस आदेश की कंडिका–6 में अतिथि शिक्षकों को संविदा शाला शिक्षकों के चयन में निर्धारित प्रकिया अनुसार अतिरिक्त अंकों का अधिभार दिये जोन का प्रावधान किया गया हैं।

5/ संविदा शाला शिक्षकों के नियोजन के लिये नवीन पात्रता परीक्षा आयोजन की कार्यवाही प्रकियाधीन हैं। पात्रता परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले तथा प्रावधान के अनुसार पात्रता रखने वाले अतिथि शिक्षकों को उक्तानुसार अतिरिक्त अंकों का अधिभार दिया जाकर मेरिट लिस्ट तैयार किये जाने के आदेश हैं। अतः संविदा शाला शिक्षकों के नियोजन में अतिथि शिक्षकों को अतिरिक्त अंकों का अधिभार दिये जाने का प्रावधान शासन द्वारा किया जाकर दिनांक 17.03.2015 को समूचित आदेश पारित किये गये है। उक्त वर्णित स्थिति के अनुक्रम में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निराकरण किया जाता हैं।

अवर सचिव
म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग 5/8/15
भोपाल, दिनांक 05/8/2015

1352
पु.क. /1270/2015/20-1

प्रतिलिपि–

1. रजिस्ट्रार (लॉ), माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर, म.प्र.।
2. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल।
3. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, पुस्तक भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल।
4. संचालक, व्यवसायिक परीक्षा मंडल म.प्र., चयन भवन, चिनार पार्क ईस्ट, भोपाल।
5. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण विधि प्रकोष्ठ, जबलपुर, म.प्र.।
6. संबंधित– मनोज मिश्रा पुत्र श्रीराम मिश्रा, अध्यक्ष, संयुक्त अतिथि शिक्षक संघ धमरा चौहान मोहल्ला गुनगा भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. आर्डर बुक।

अवर सचिव
म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग 5/8/15